शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / NTSE-NMMSS / 2016—2017 / 1912 भोपाल, दिनांक 29.7.17

विज्ञापन

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2017—2018

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963 से प्रारम्भ हुई है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना है एवं उन्हें सहायता प्राप्त करना है। NCERT नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, कक्षा 10वी के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है।

म.प्र. राज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2017—18 दिनांक 5 नवम्बर 2017 को जिला स्तरीय केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 13 मई 2018 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य से प्रत्याशियों निर्धारित संख्या 258 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

1. पात्रता — म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। दूरस्थ मुक्त शिक्षा (ओपन स्कूल) में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2017 को 18 वर्ष से कम उम्र के हो कहीं कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वी की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहें हो भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।
2. छात्रवृत्ति — NCERT नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर पूरे देश से 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है।

   1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/— प्रतिमाह
   2. स्नातक एवं स्नात्रकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000/— प्रतिमाह
   3. Ph.D. के लिए UGC नार्मस के अनुरूप

3. आरक्षण — प्रथम परीक्षा में आरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन के नियम एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। निःशक्त विद्यार्थियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा।
4. परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:—

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	01.08 .2017
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	15.09.2017
परीक्षा दिनांक व दिन	05.11.2017 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. परीक्षा का विवरणः–

क्र	परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हताकारी अंक	
					सामान्य वर्ग 40%	अ.जा. / अ.जजा. / निःशक्त वर्ग 32%
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	16 अंक
2	भाषा बोध परीक्षण (LT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	16 अंक
3	शैक्षिक योग्यता परीक्षण(SAT)	90 मिनट	100	100	40 अंक	32 अंक

नोट – परीक्षा का समय प्रातः 11 से 2.30 बजे तक रहेगा। प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

5.1 मानसिक योग्यता परीक्षा –इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन–विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।

5.2 भाषा बोध परीक्षण – इसके अंर्तगत कुल 50 प्रश्न होंगे भाषा ज्ञान परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी की होगी। छात्र इनमें अपनी रूचि के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। यह क्वालीफाइंग परीक्षा है, इसके अंक प्रावीण्य सूची के निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे।

5.3 .शैक्षिक योग्यता परीक्षण – इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र – 13, रसायन शास्त्र – 13, जीव विज्ञान – 14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास – 15, भूगोल – 15, राजनीति शास्त्र – 5, अर्थशास्त्र – 5) तथा गणित विषय – 20 प्रश्न होगें।

6 **पाठ्यकम** – राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यकम नही है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर म.प्र. राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समान होगा।

7 आवेदन की प्रकिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति

7.1 **इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15.09.2017 है।**

7.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपी ऑनलाइन की बेवसाइट http//www.mponline.gov.in पर दि. 01.08.2017 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेंगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

7.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।

7.5 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में प्राप्त रसीद में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगा एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगें। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन–पत्र भेजेगे। डाईट / डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।

7.6 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का स्वीकार किया जावेगा।

7.7 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह 2017 के तीसरे सप्ताह से एमपी ऑनलाइन के लिंक https//www.mponline.gov.inhttps//www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वय डाउनलोड कर सकेगे।

8. **परीक्षा का माध्यम** – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

9. **परीक्षा शुल्क** – इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

10. महत्वपूर्ण निर्देश :–

10.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुँचना अनिवार्य है।

10.2 सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी तरह की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है।

10.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

10.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही है।

10.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरान्त पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

10.6 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एम पीऑनलाइन की वेबसाईट https//www.mponline.gov.in /Portal/CitizenHome.aspx?servtypeid=2 से प्राप्त किया जा सकता है।

11. पुनर्मूल्यांकन – इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।

12. यात्रा भत्ता – परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने –जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल